हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी, शिमला के अवधि 1.4.2011 से 31. 3.2013 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन भाग—एक

1 प्रारम्भिक:-

(i) अंकेक्षणाधीन अविध में निम्नलिखित अधिकारी अकादमी के सचिव एवं आहरण व वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री तुलसी रमण	1.4.2011 से 31.10.2012
2	श्री अशोक हंस	9.11.2012 से 31.3.2013

(ii) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्र०सं०	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि लाखों में
1	8	अकादमी द्वारा प्रकशित पुस्तकों में स विक्रय हेतु पुस्तकों का शेष पाया जाना	18.59
2	10	उधार बेची गई पुस्तको की तथा लोकगीतों की कैसटों की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.28
3	11	पहाड़ी गीतों की कैसटें स्टॉक में शेष पाई जाना	1.96
4	13	श्री सुभाष कौशल (निजी सहायक) का ऐशयरेड कैरियर प्रोगेशन योजना 4—9—14 के अन्तर्गत गलत	0.28

	वेतन	निर्णारण	करके	उनको	
	अधिक	भुगतान क	रना		

(ii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

अकादमी के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत अनुच्छेदों की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई तथा अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

2 वर्तमान अंकेक्षण:--

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी, शिमला के अवधि 1.4.2011 से 31. 3.2013 के लेखों का लेंखा परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री अशोक कुमार सूद (सहायक नियन्त्रक) द्वारा दिनांक 13.01.2014 से 21.02.2014 के दौरान अकादमी के कार्यालय में किया गया तथा विस्तृत जॉच हेतु माह 2/2012, 3/2012, 10/2012 व 3/2013 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अकादमी के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एव अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई या किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता हैं।

3 लेखा परीक्षा शुल्क:--

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के अवधि 4/2011 से 3/2013 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹19200/—आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को भेजने हेतु सचिव हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी शिमला—171002 से सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 242 दिनांक 21.2.2014 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा प्रस्तुत अकादमी की अंकेक्षणाधीन 31.3.2013 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट** "क-1" के पृष्ठ 1 से 24 पर भी संलग्न है।

	2011–12	2012—13
प्रारम्भिक शेष	3442934.90	2838120.90
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	12917017.00	16514367.00
योग	16359951.90	19352487.90
वर्ष के दौरान व्यय	13521831.00	14464020.00
अन्तशेष	2838120.90	4888467.90

दिनांक 31.3.2013 का अन्तिम शेष का विवरण

1	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता संख्या 55069385925 में जमा राशि	4248585.16
2	यूको बैंक खाता संख्या 1555010003741 में जमा राशि	498636.00
3	कोओप्रेटिव बैंक खाता संख्या 4350102910 में जमा राशि	89389.00
4	स्थाई निधि	2000.00
5	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता संख्या 55126075330 में जमा राशि	49857.74
	संस्कृति सदन हमीरपुर से सम्बन्धित	

योग 4888467.

90

5 संविधान की धाराओं की अनुपालना में कार्यकारी परिषद/सामान्य परिषद की वार्षिक बैठक का न करवाना जाना व अकादमी बजट का अनुमोदन न करवाया जाना:—

हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी के संविधान की धारा 18(B)(i) के अनुसार "The Excecutive Council hall ordinarily meet four times in a year." तथा धारा 13 के अनुसार The Executive Council shall have the following powers, to exercise the

executive authority in administrative and financial matters, to incur all expenditure subject to the budget provisions and to consider the budget estimates and to make recommendations there on to the General Council." अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि कार्यकारी परिषद की भी वर्ष 2006 के बाद केवल एक दो बैठकें ही सम्पन्न हुई जबिक नियमानुसार पत्येक वर्ष 4 बैठकें अपेक्षित थी तािक अकादमी का कार्य सुचारू रूप से चल सके। इसके अतिरिक्त हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के संविधान की धारा 18 (A) (i) के अनुसार "The meetings of the General Council shall ordinarily be held once a year." तथा धारा 12 (iv) क अनुसार, "The General Council shall have to approve the annual budget of the Acadamy." अंकेक्षण के दौरान जाच में पाया गया कि अकादमी की सामान्य परिषद की अन्तिम बैठक दिनाँक 31.5.2006 को सम्पन्न हुई थी तथा उसके बाद कोई नहीं बैठक हुई और न ही बजट का अनुमोदन किया गया। इस प्रकार संविधान की अनुपालना में अकादमी का कार्य सूचारू रूप से चलाने हेतू संविधान के अनुसार गठित कार्यकारी परिषद / सामान्य परिषद की बैठकें न करवाया जाना तथा बजट का अनुमोदन न करवाया जाना अकादमी के संविधान की अवहेलना है। अतः यह मामला प्रदेश सरकार व उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए व की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

6 सचिव, अकादमी द्वारा प्रयोग की जा रही वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों के सन्दर्भ में:—

हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी शिमला के संविधान, सेवा नियम एवं भविष्य निधि नियम की धारा 10 (a)(i) के अनुसार "The President shall subject to the policy, directive of the Genreal Council and/or Executive Council exercise all necessary administrative and financial powers for the effective functioning of the Acdaemy.", नियम 10 (6) (i) के अनुसार "Senior Vice-President shall exercise such powers as are delegated by the president.", नियम 10 (c) (i) के अनुसार "Vice President of the General Council and Chairmen of the Executive Council shall exercise such powers as are delegated by the president.", नियम 11 (iii) के अनुसार "Secretary shall

exercise such powers as are delegated to him by the President and perform such functions as are assigned to him by the President/Senior Vice President/Vice President/Chairman/Vice Chairman."

उपरोक्त नियमों की अनुपालना में अकादमी की कार्यकारी परिषद की दिनाँक 14.1. 2009 बैठक की कार्रवाई की मद संख्या 19 में लिये गये निर्णय अनुसार सचिव (भाषा—संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार एवं उपसभापित कार्यकारी परिषद को ₹60000/— तक तथा सचिव अकादमी को प्रतिमद ₹35000/— तक की वित्तीय शक्तियाँ हस्तांतरित की गई। इस प्रकार इन अधिकारिया को केवल उक्त वित्तीय शक्तियाँ ही हस्तांतरित की गई थी जबिक सभी प्रशासनिक शक्तियाँ अध्यक्ष अकादमी के पास ही निहित रही जबिक वास्तव में उप सभापित कार्यकारी परिषद व सचिव अकादमी द्वारा सभी वित्तीय व प्रशासनिक शिक्तियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। इस विषय को सहायक नियन्त्रक (ले०प०) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 235 दिनाँक 12.2.2014 द्वारा सचिव, हिमाचल प्रदेश संस्कृति भाषा अकादमी के ध्यान में लाया गया जिसके उत्तर में उनके द्वारा स्वित किया गया कि यह गलती से हुआ है तथा इस विषय को अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाकर शक्तियों का हस्तांतरण करवा दिया जायेगा। अतः इस प्रकरण में वाँन्छित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए तथा पूर्व में किये गये व्यय की कार्योत्तर प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

7 अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं, सोंमसी, हिम भारती व श्यामला का प्रकाशन समयानुसार न किया जाना:—

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कला, साहित्य, संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन तथा प्रदेश की संस्कृति के प्रचार—प्रसार हेतु हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी के गठन की अधिसूचना संख्या 8–9/71–एल०डब्लयू०पी०/(लैग्वेज) दिनाँक 14 अप्रैल, 1971 को की गई। अकादमी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अकादमी की कार्यकारी परिषद द्वारा 28 मार्च 2005 तथा 22 नवम्बर 2006 की बैठक में पारित अकादमी की योजनाओं के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक सम्पदा और साहित्य को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से त्रैमासिक पत्रिका "सोमसी", पहाड़ी भाषा के लेखकों को प्रोत्साहित करने एवं पहाड़ी भाषा की उन्नति व विकास के उद्देश्य से अर्द्धवार्षिक पत्रिका "हिमभारती" पहाड़ी तथा संस्कृत भाषा में लेखकों को

प्रोत्साहित करने एवं संस्कृत भाषा की उन्नित और विकास के उद्देश्य से अर्द्धवार्षिक पत्रिका "श्यामला (संस्कृत)" के प्रकाशन का निर्णय लेते हुये इन पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ किया। अभिलेख की जाँच म्रे पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में इन पत्रिकाओं का प्रकाशन समयानुसार नहीं किया गया है। उदाहरणतः त्रैमासिक पत्रिका सोमसी के वर्ष 2011 व 2012 में 8 त्रैमासिक अंकों की जगह केवल 3 अर्द्धवार्षिक संयुक्त अंकों का प्रकाशन किया गया। हिमभारती अर्द्धवार्षिक पत्रिका के वर्ष 2011 में 2 अंकों के स्थान पर केवल एक अंक "जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011" संयक्त रूप से प्रकाशित किया गया। इसी प्रकार श्यामला अर्द्धवार्षिक पत्रिका के वर्ष 2011 व वर्ष 2012 को केवल 2 अंक (जून 2011 व दिसम्बर 2011) में ही प्रकाशित किये गये। इस प्रकार पत्रिकाओं का प्रकाशन निरन्तर व समायानसार न करके अकादमी द्वारा कार्यकारिणी के निर्णयों की अवहेलना है जिनसे अकादमी के निर्णयों की प्रतिपूर्ति नहीं होती है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि उक्त अनियमितत को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य में प्रदेश सरकार द्वारा अकादमी के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी के निर्णयों के अनुसार समयानुसार पत्रिकाओं का प्रकाशन करना सुनिश्चत किया जाए।

8 अकादमी द्वारा प्रकिशत पुस्तकों में स विक्रय हेतु ₹1859041/- की पुस्तकों का शेष पाया जानाः-

अंकेक्षण के दौरान जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि वर्ष 2009—10 में ₹495089 /— की पुस्तकें स्टॉक में शेष थी वर्ष 2010—11 में ₹790291 /— की पुस्तक स्टॉक में शेष थी तथा वर्ष 2012—13 में 31 मार्च 2013 तक विक्रय हेतु शेष पुस्तकों की मात्रा ₹1859041 /— के मूल्य के बराबर हो गई। इस प्रकार केवल 4 वर्षों में बिक्री हेतु शेष पुस्तकों के स्टॉक म लगभग 4 गुणा बढ़ौतरी होना स्वतः ही स्पष्ट करता है कि विभाग द्वारा पुस्तकों की बिक्री हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये जा रहे है। इस विषय को सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 237 दिनांक 12.2.2014 द्वारा भी सचिव, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के ध्यान में लाया गया परन्तु संस्थान द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस प्रकार अकादमी द्वारा प्रदेश सरकार से लाखों रूपये की अनुदान राशि प्राप्त करके बहुमूल्य पुस्तकें प्रकाशित तो की जा रही है परन्तु इन पुस्तकों की बिक्री हेतु प्रयत्न न करने के कारण इनकी बिक्री बहुत कम हुई है जिससे इन पुस्तकों के प्रकाशन का

प्रयाजन ही समाप्त हो जाता है। अतः परामर्श दिया जाता है स्टॉक में पड़ी पुस्तकों की बिक्री हेतु विशेष प्रयास किए जाएं ताकि पुस्तकों के प्रकाशन का पयोजन सफल हो सके।

क्र0	पुस्तक का नाम	प्रकाशित	बांटी	विक्रय की	शेष
सं0		पुस्तकें	गई	गई पुस्तकें	
			पुस्तकें		
1	सांस्कृतिक शब्दावली	500	11	14	475
2	मणिमहेश यात्रा	1000	34	21	945
3	किन्नौर	500	21	16	463
4	हि०प्र० अभिलेख व पांडुलिपि	500	12	16	472
5	कुल्लू देव परम्परा	1000	49	22	929
6	कुल्लू देव परम्परा (बंजार–सैंज)	1000	54	19	927
7	हि०प्र० के लोक नाट्य	500	8	17	475
8	हिमाचल कोविदाष्टकम्	500	5	22	473
9	Rewaj-I-Am	500	6	3	491
10	महानुवादक रत्न भद्र	1000	6	16	978
11	हिमाचली लोकोकित संग्रह	500	8	10	482

9 अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का मूल्य निर्धारण करने के सन्दर्भ में:--

सहायक नियन्त्रक (ले०प०) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 231 दिनाँक 1.2.2014 के उत्तर में अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के मूल्य का निर्धारण सचिव अकादमी द्वारा न लाभ न हानि के आधार पर निधारित किया जाता है परन्तु अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में प्रकाशित पुस्तकों पर किये गये व्यय व उनके निधारित मूल्य में अत्याधिक अन्तर पाया गया। उदाहरण के रूप में वर्ष 2011 व 2012 में प्रकाशित पुस्तकों पर किए गए व्यय निर्धारित मूल्य का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र0 पुस्तक का नाम प्रकाशि पुस्तक प्रति पुस्तक का विक्रय

सं0		त	प्रकाशन	पुस्तक	मूल्य	
		पुस्तकें	पर	पर		
			किया	किया		
			गया	गया		
			व्यय	व्यय		
					बिना	जिल्द
					जिल्द	सहित
1	सांस्कृतिक शब्दावली	500	57000	114	150	250
2	लाहौल–स्पिति	500	54500	109	150	250
3	किन्नौर	500	48000	96	125	225
4	पांगी भरमौर	500	32000	64	100	180
5	हि०प्र० अीीलेख और पांडुलिपि	500	32000	64	100	170
6	हि०प्र० का प्राचीन ग्रंथ सांचा	500			200	300
7	हि०प्र० के लोक नाट्य	500	50000	100	150	250
8	हिमाचल कोविदाष्टकम्	500	37000	74	150	250
9	मणिमहेश यात्रा	1000	24200	24.10	80	
10	कुल्लू देव परम्परा (बाहरी	1000	60790	60.79	100	
	सराज)					
11	कुल्लू देव परम्परा (कुल्लू	1000	99960	99.96	180	
	मनाली)					
12	कुल्लू देव परम्परा (बंजार-सैंज)	1000	76040	76.04	120	
13	Rewaj-I-Am	500	16800	33.60	100	
14	महानुवादक रत्न भद्र	1000	24960	24.96	100	
15	हिमाचली लोकोकित संग्रह	500	30668	61.33	100	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि पुस्तकों के प्रकाशन मूल्य व विकय मूल्य में कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणतः जो पुस्तक ₹24 में छपवाई गई उसका भी विक्रय मूल्य ₹80 और जो पुस्तक ₹61 में छपवाई गई उसका भी विक्रय मूल्य ₹100 निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त क्रम संख्या 1 से 8 तक वर्णित पुस्तकों के विक्रय मूल्य में केवल गत्ता लगाने से (जिल्द सिहत) मूल्य में ₹100 प्रित पुस्तक बढ़ौतरी कर दो गई है। अतः यह मामला अकादमी प्रशासन के विशेष ध्यान में लाया जाता है व परामर्श के मूल्य निर्धारण का एक निश्चित फार्मूला/माप दण्ड निर्धारित करके तथा इसे अकादमी की कार्यकारी परिषद से स्वीकृत करवाकर तदानुसार पुस्तकों का मूल्य निर्धारित किया जाए ताकि पुस्तकें उचित मूल्य पर जनमानस को उपलब्ध हो सके। इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 उधार बेची गई पुस्तको ंकी ₹12054/— तथा लोकगीतों की कैसटों की ₹16178/— वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

अकादमी द्वारा उधार बेची गई पुस्तकों की ₹12054/— तथा लोकगीतों की कैसटों की ₹16178/— दिनाँक 31.3.2013 तक वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" तथा परिशिष्ट "ग" में दिया गया है। जाँच में पाया गया कि अकादमी द्वारा ₹6884/— की पुस्तकें 1/2001 से 9/2009 के दौरान उधार दी गई थी। इसी प्रकार सभी कैसटें 1/2005 से पहले उघार दी गई थी परन्तु अकादमी द्वारा इनकी वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए जबिक गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में इन राशियों की वसूली हेतु विशेष प्रयास करने के लिए परामर्श दिया गया था। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि इतने वर्षों से बकाया शेष राशियों की वसूली हेतु यथाशीध्र कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

11 पहाड़ी गीतों की ₹196740 / – की कैसटें स्टॉक में शेष पाई जानाः –

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट "घ"** में दिए गए विवरणानुसार ₹196740 / — की पहाड़ी गीतों की कैसटें स्टॉक में बकाया शेष है। अकादमी द्वारा वर्ष 2010—11 केवल ₹360 / —के मूल्य की कैसटों की बिक्री की गई थी तथा गत 2 वर्षों में एक भी कैसट की बिक्री नहीं हुई है जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि विभाग द्वारा इनकी बिक्री हेतु प्रयत्न नहीं किये गये है। अतः परामर्श दिया जाता है कि उच्च स्तरीय समिति बना कर इनकी बिक्री हेतु विशेष प्रयत्न किये जाऐं व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 विभागीय पदोन्नित समिति की सिफारिशों के बिना ही कर्मचारियों को ऐसोशियेटड कैरियर प्रोगेशन योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जानाः—

हिमाचल पद्रेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन(पीआर) बी(7)—59/2010 दिनाँक 9.8.2012 के अन्तर्गत कर्मचारियों के 4—9—14 का सेवाकाल पूर्ण करने पर उनको नई एैश्योरड कैरियर प्रोगेशन के अन्तर्गत वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने की योजना को लागू किया गया उक्त अधिसूचना के पैरा संख्या 4 बी के अनुसार "The procedure for assessing the work and conduct for placement in the higher make shall be the same as applicable to the case of promotion." | इस प्रकार उक्त योजना के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नित समिति की सिफारिशों/अनुशंसा उपरान्त ही कर्मचारी को इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जा सकता है। जाँच में पाया गया कि अकादमी के कर्मचारियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ देने से पूव विभागीय पदोन्नित समिति की बैठक नहीं की गई तथा इस प्रकार विभागीय पदोन्नित समिति द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करने के उपरान्त इस योजना के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करने हेतु अनुशंसा भी नहीं की गई। अतः अकादमी द्वारा अनुशंसा बिना ही कर्मचारियों को 4—9—14 का लाभ प्रदान किया गया है जो नियमों की अवहेलना है। अतः ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाकर व तदानुसार कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकक्षण में दर्शाई जाए।

13 श्री सुभाष कौशल (निजी सहायक) का ऐशयरेड कैरियर प्रोगेशन योजना 4−9−14 के अन्तर्गत गलत वेतन निर्णारण करके उनको ₹28203/− का अधिक भूगतान करनाः—

अकादमी द्वारा श्री सुभाष कौशल को नई ऐशयोरड कैरियर प्रोगेसन योजना के अन्तर्गत 14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर दिनाँक 27.8.'2009 को उनके वेतन में ग्रेड पे में बढ़ौतरी करने क साथ—साथ एक वेतन वृद्धि भी प्रदान की गई तथा उनका वेतन दिनाँक 27. 8.2009 को 22130+4400 वेतनमान से बढ़ा कर 22930+4800 कर दिया गया। जाँच में पाया गया कि श्री सुभाष कौशल को दिनांक 27.'8.2009 को जिस दिन उनके द्वारा 14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर उनको एक वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी उस दिन तक श्री कौशल पुरानी कैरियर प्रोगेशन योजना के अन्तर्गत 24 साल पूर्ण करने पर तीन वेतन वृद्धियाँ प्राप्त

कर चुके थे तथा नई एैशयोरड कैरियर प्रोगेशन योजना के नियम 3 (जी) के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 24 वर्ष सेवाकल पूर्ण करने पर पहले ही तीन वेतन वृद्धियाँ प्राप्त कर चुका है तो इस नई योजना के अन्तर्गत केवल उनकी ग्रेड पे में बढ़ौतरियाँ प्रदान की जानी अपेक्षित थी क्योंकि उनको 3 वेतन वृद्धियाँ पहले ही दी जा चुकी थी। इस प्रकार अकादमी द्वारा श्री सुभाष कौशल को दिनाँक 27.8.2009 को गलत तरीके स एक वेतन वृद्धि प्रदान करते हुये व तदानुसार नशनल आधार पर उनका वेतन निर्धारित करते हुये दिनाँक 9.8.2012 से दिनांक 31. 12.2013 तक निम्नविवरणानुसार कुल ₹28293 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया।

अवधि	नियमानुसार	दिया गया	अधिक किया	अवधि	कुल
	देय वेतन	वेतन	गया भुगतान		राशि
			BP+DA		
09.08.12 से 31.08.12	24640+4800	25520+4800	880+634=1514	23 दिन	1123
01.09.12 से 31.12.12	24640+4800	25520+4800	880+634=1514	4 माह	6056
01.01.13 से 31.12.13	25530+4800	26430+4800	900+720=1620	12 माह	19440
माह 1/2014	26440+4800	27370+4800	930+744=1674	1 माह	1674
		कुल अधिक १	भगतान		2829

अतः श्री सुभाष कौशल का नियमानुसार पुनः वेतन निर्धारित करते हुये तथा उनसे अधिक किये गये भुगतान की वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण मे करवाई जाए।

3

14 श्री सौरभ विशष्ट (लिपिक) का गलत वेतन निर्धारण करके उनको अधिक भुगतान करने के बारे में:—

अकादमी द्वारा श्री सौरभ विशष्ठ को दिनाँक 18.5.2006 से लिपिक के पद पर 3120—5160 के वेतनमान में नियुक्ति प्रदान की गई तथा उनके वेतन का निर्धारण 1.1.2006 से दिये गये संशोधित वेतनमान में 5910—20200 के Pay band तथा 1900 ग्रेड पे किया गया। इस प्रकार श्री सौरभ विशष्ठ के वेतन का निर्धारण 18.5.2006 से 5910 पे बैण्ड/मूल वेतन तथा 1900 ग्रेड पे पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित था जबिक सेवा पंजिका की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा उनका वेतन का निर्धारण 18.5.2006 से 5990 मूल वेतन+1900 ग्रेड पे

पर किया गया। इस प्रकार श्री सौरभ विशष्ठ का निम्नविवरणानुसार मूल वेतन का अधिक निर्धारण किया गया है।

अवधि	देय	किया गया	अन्तर	अवधि
	वेतन	भुगतान		
18.5.2006 से 30.4.2007	5910	5990	80	11 माह, 13 दिन
1.5.2007 से 30.4.2008	6150	6230	80	12 माह
1.5.2008 से 30.4.2009	6400	6480	80	12 माह
1.5.2009 से 30.4.2010	6650	6740	90	12 माह
1.5.2010 से 30.4.2011	6910	7000	90	12 माह
1.5.2011 से 30.4.2012	7180	7270	90	12 माह
1.5.2012 से 30.4.2013	7460	7550	90	12 माह

अतः उक्त अधिक दिए गए मूल वेतन पर समय—2 पर दिए गए मंहगाई भत्ते की संस्था स्तर पर गणना करके सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाए तथा भविष्य में उनको सही वेतनमान के अनुसार ही वेतन का भुगतान किया जाए।

श्री नरेन्द्र शर्मा अधीक्षक ग्रेड—1 एवं श्री अशोक हंस अनुसंघान अधिकारी का पदोन्नित पर गलत वेतन निर्धारण करने के फलस्वरूप उनको अधिक भुगतान करना तथा विविभन्न कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की गलत प्रविष्टियों को ओवरराईटिंग अथवा फल्यूड लगाकार ठीक करनाः—

15

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009—10 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 11 में श्री नरेन्द्र शर्मा अधीक्षक ग्रेड 1 का पदोन्नित स्वरूप गलत निर्धारित किये वेतनमान का मामला प्रकाश में लाया गया था तथा पैरे में गलत/अधिक भुगतान को प्रकाश में लाने के साथ—साथ उक्त कर्मचारी की वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि में उनको सही वेतन निर्धारित करके सेवा पंजिका में तदानुसार ठीक प्रविष्टि करने व उनको नियमानुसार आगामी वेतन वृद्धि प्रदान करने हेतु भी कहा गया था परन्तु जाँच में पाया गया कि कर्मचारी की न तो सेवा पंजिका में प्रविष्टियाँ ठीक की गई है और नहीं अधिक किये गये भुगतान की वसूली की गई है अपितु उक्त कर्मचारी को गलत निर्धारित किए गए वेतनमान पर ही वार्षिक वृद्धियाँ प्रदान करके भुगतान किया जा रहा है जो एक गम्भीर अनियमितता है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस चूक हेतु जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए अधिक भुगतान की संस्था स्तर पर गणना करके अविलम्ब इसकी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार सही वार्षिक

वृद्धियाँ प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि माह 3/12 में श्री नरेन्द्र कुमार को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके दिनांक 1.3.2012 से लाभ दिया जबकि यह वेतन वृद्धि 5.3.2012 से देय थी। इस प्रकार प्रार्थी को 4 दिन का वार्षिक वेतन वृद्धि का अधिक एवं गलत भुगतान करने के स्वरूप उनको ₹218/- का अधिक भुगतान कर दिया गया जिसकी वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसी प्रकार श्री अशोक हंस, विशष्ट अनुसंधान अधिकारी का पदोन्नति पर गलत वेतनमान निधारित किया गया था परन्तु उनके गलत वेतनमान को भी ठीक करने के स्थान पर उन्हें गलत निर्धारित वेतन पर ही वेतन वृद्धियाँ प्रदान कर अधिक वेतन भूगतान किया जा रहा है जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा उक्त अधिकारी का सही वेतमान निर्धारित करके तथा वेतन निर्धारित के उपरान्त अधिक वेतन भुगतान की पूर्ण गणना करके व सेवा पंजिका में तदानुसार ईन्द्राज कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त श्री अशोक हंस वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी की सेवा पंजिका के पृष्ठ 21 पर 4 वर्ष पूर्ण करने पर देय लाभ 4-9-14 से सम्बन्धित सभी प्रविष्टियों ओवरराईटिंग की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त अकादमी अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा पंजिका मे भी वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियों को ठीक करने हेत उन्हें काट कर पुनः लिखने के स्थान पर गलत प्रविष्टियों पर ही या तो फल्यूड लगाकर प्रविष्टि को मिटा कर उस पर लिखा गया है अथवा प्रविष्टि पर ओवरराईटिंग करके इन्द्राज किया गया है। इस प्रकार सेवा पंजिकाओं की प्रविष्टियों में ओवरराईटिंग करना अथवा फल्यूड लगाकर ठीक करना एक गलत प्रक्रिया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए तथा भविष्य में अगर किसी प्रविष्टि को ठीक करना हो तो गलत प्रविष्टि को काट कर पुनः सही पविष्टि का ईन्द्राज करके तथा इसे नियन्त्रक अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में अधिक तथा गलत भुगतान करनाः—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अकादमी द्वारा कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान करते समय नियमानुसार कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। नियमानुसार जिन औषधियों की प्रतिपूति/भुगतान नहीं किया जा सकता है उनका भी भुगतान किया जा रहा है तथा जिन कर्मचारियों द्वारा निजी चिकित्सालयों से (जो सरकार द्वारा अनुमोदित है) चिकित्सा ली गई है उनके द्वारा ली गई दरों को भी राजकीय चिकित्सालयों में

ली जा रही दरों तक सीमित करने के स्थान पर पूर्ण भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन 2008—09 के पैरा 14 (ख) में चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में सभी दवाईयों के नाम बड़े अक्षरों (block letters) में लिखन हेतु कहा गया था परन्तु इस सन्दर्भ में भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इस प्रकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की पूर्ण जाँच न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है तथा इस प्रकार कर्मचारियों को जान बूझ कर दिया गया अनुचित लाभ दिया गया प्रतीत होता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है तािक इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके व चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की पूर्ण जाँच उपरान्त नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जा सके। अंकेक्षण अविध के चयनित माह में जाँच किये गये प्रतिपूर्ति बिलों में पाई गई अनियमितताओं का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0	वा0सं0	कर्मचारी का	दवाईयों का नाम व राशि	टिप्पणी
सं0		नाम		
1	1368 माह	श्री सुभाष कौशल	Tab. Supradyn=101:58	आर्युवैदिक
	3/12			विकित्सक द्वारा यह
				दवाईयाँ दी गई
2	1369 माह	श्री देव राज	Cap B/C=18	आर्युवैदिक
	3/12	सन्सालवी	Dikin Pluo=36	विकित्सक द्वारा यह
			Cap B/C=18	दवाईयाँ दी गई
			Sy. Vivo line=70	
	1370 माह	श्री देव राज	Tab Ambika=68	आर्युवैदिक
	3/12	सन्सालवी	Gup Heamup=73.63	विकित्सक द्वारा यह
				दवाईयाँ दी गई
	1252 माह	श्री देव राज	Bicidal Plus=44.18	आर्युवैदिक
	3/12	सन्सालवी	T. Sdutro D.P.=60.08	विकित्सक द्वारा यह
			Bicidal Plus=47.50	दवाईयाँ दी गई
			T.Sedutro D.P.=60.08	
			Micra= 40.00	
			G-C 10 syp.=65.10	
	1252 माह	श्री देव राज	लैबोटरी टैस्ट	इन भुगतानों की

	3/12	संसावली (टैन्जिन	I&D=600	गई राशियों को
		हॉस्पिटल से पत्नी	Dressing Minor 2-12-	राजकीय
		की करवाई गई	11=120	चिकित्सालय की
		चिकित्सा का	Do or 3.12.11=120	दरों के साथ सीमित
		प्रतिपूर्ति बिल)	Do on 5.12.11=120	किया जाए।
3	1366 माह	श्री नरेन्द्र शर्मा	चिकित्सा प्रतिपूति बिल कुल	बिल की राशि को
	3/12	अधिक्षक ग्रेड–1	राशि ₹4557 में मै0 मैडिकेयर	राजकीय दरों के
			लैब व अल्टरा साऊण्ड सैन्टर	साथ सीमित किया
			में करवाये गये लैबोटरी टैस्ट	जाए। वाउचर
			F.B.S.=30	संख्या १२४० के
			PP=30	अन्तर्गत श्री नरेन्द्र
			RFT=150	चन्द के लैबोरेटरी
			Lipid profile=250	के बिल की प्रतिपूर्त
			Electrolytes=250	में RFT के ₹ 30 व
				Lipid profile का
				₹150 / — का
				भुगतान किया गया
				है।
4	2131 माह	श्री अशोक हंस	Cap Caridiol-H=495	आर्युवैदिक
	3/13	(सचिव)		
5	2132 माह	श्री सौरभ वशिष्ठ	Special ward Room	श्री सौरभ वशिष्ठ
	3/13	लिपिक	charges=900	(लिपिक) द्वारा
			Special ward Room	अपनी पत्नी की
			charges=3600	चिकित्सा पर किये
			Diet charges=375	गये व्यय में इस
				भुगतान की प्रतिपूति
				ली गई

17 दिल्लो प्रवास के दौरान कर्मचारियों को होटल में ठहरने का किया गया ₹13930 / — का गलत भुगतानः—

हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त (रैगुलेशन) विभाग के कार्यालय ममोरन्डम संख्या फिन-सी बी(7)-14 / 98 दिनाँक 8.12.1998 के पैरा संख्या 5 (4) के अनुसार "In case of non-availability of accommodation in Himachl Bhawan at New Delhi and certificate to this effect is issued in favour of the concerned officer/official by the General Administration Department, tariff for stay in hotels run by the ITDC as specified vide this Department O.M. No. Fin(C) B(7) 1/97 dated 29-1-1998 will be reimbursed subject to the production of receipt and other conditions laid down in this behalf from time to time."। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि बिल संख्या 420 दिनाँक 3.3.2013 के अन्तर्गत श्री कर्म सिंह (अनुसन्धान अधिकारी) तथा श्री देवराज शर्मा (पुस्तकाध्यक्ष) को दिनाँक 3.2.2013 से 10.2.2013 के दौरान दिल्ली में सम्पन्न हुये विश्व पुस्तक मेले में भाग लेने के लिए उनके यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान किया गया। उक्त दोंनों अधिकारियों के यात्रा भत्ता बिलों में उनके द्वारा दिनाँक 4.2.2013 से 9.2.2013 के दौरान दिल्लो में ठहरने पर होटल मौर्य डीलक्स के बिल की ₹6965 / – व ₹6965 / – की प्रत्येक अधिकारी को प्रतिपूर्ति की गई तथा इस सन्दर्भ में यह लिखा कर दिया कि हिमाचल भवन में कोई स्थान नहीं मिला तथा स्थान हेत् सामान्य प्रशासन विभाग को भी लिखा गया था जबकि नियमानुसार स्थान उपलब्ध न हाने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र साथ संलग्न होना चाहिये था जोकि अभिलेख के साथ संलग्न नहीं था। अतः उक्त किये गये भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा अनियमित रूप से किये गये भूगतान की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाइ जाए।

18 निर्घारित दरों से अधिक दरों पर दैनिक भत्तों का भुगतान करना:--

यात्रा भत्ता बिलों की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कर्मचारियों को यात्रा के रूप में प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन(सी) (बी) (7)—1/2009 दिनाँक 19.6.2012 द्वारा निर्धारित दरो पर भुगतान न करके उच्च दरों पर भुगतान किया गया जोकि अनियमित है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा अधिक किये गये भुगतान को वसूली उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशि वापिस जमा करवाकर तथा भविष्य में नियमानुसार भुगतान का किया जाना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई स आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

सं0 / माह का नाम किये गये वैनिक भत्ते का विवरण की गई अधिक राशि 420, माह श्री करम शिमला से दिल्ली दैनिक भत्ता दैनिक मता 57 3 / 2013 सिंह 3.2.13 से 3.2.13 ₹160 का ₹84 का 3/4 माग=63 6P.M) वैनिकी ₹120 माग=63 57 -यथोपरि- पाज शर्मा -यथोपरि यथोपरि यथोपरि यथोपरि पाज शर्मा 57 427 माह श्री सुभाष शिमला से चम्या 4. 1 दिन का 1 दिन का 76 ₹84 3 / 2013 कौशल 10.12 से 4.10.12 दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता १३निक १३निक १३निक भत्ता १३निक	बिल	कर्मचारी	यात्रा का विवरण	अधिक भुगतान	नियमानुसार	भुगतान
420, माह श्री करम शिमला से दिल्ली दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता 57 3/2013 सिंह 3.2.13 से 3.2.13 ₹160 का ₹84 का 3/4 माग=63 6P.M) दैनिकी ₹120 57 120 57	सं0 / माह	का नाम		किये गये	दैनिक भत्ते का	की गई
420, माह श्री करम शिमला से दिल्ली दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता 3,213 से 3,2.13 है 160 का ₹84 का 3,4 भाग 6P.M) दैनिकी ₹120				दैनिक भत्ते का	विवरण	अधिक
3/2013 सिंह 3.2.13 से 3.2.13 ₹160 का (8:30 AM से 3/4 भाग 69.M) दैनिकी ₹120 -यथोपर यथोपर- 57 राज शर्मा 24.7 माह श्री सुभाष शिमला से चम्बा 4. 1 दिन का 1 दिन का 76 दैनिक भत्ता श्री श्राला 9.10.12 से 4.10.12 (4:30AM से 7:50 ₹160 PM) धर्मशाला से 1 दिन का 1 दिन का श्री श्रामला 9.10.12 से 4.10.12 से दैनिक भत्ता श्री मला 9.10.12 से 8:30 PM) ₹84 428 माह श्री अशोक शिमला से 1 दिन का दैनिक भत्ता 9.10.12 (8AM से 7:50 ₹160 ₹84 8:30 PM) ₹160 ₹84 428 माह श्री अशोक शिमला से 1 दिन का ₹180 का 25 70%=₹126 3/2013 हंस सुन्दरनगर दैनिक भत्ता 30.10.12 से 30.10. ₹180 का 30%=₹29 वुल ₹155 सुन्दरनगर से 1 दिन का ₹180 का 25 70%=₹126 सुन्दरनगर से 1 दिन का ₹180 का 25 70%=₹126				विवरण		राशि
(8:30 AM से 6P.M) 3/4 भाग भाग=63 427 माह श्री सुभाष शिमला से चम्बा 4. 1 दिन का 1 दिन का 76 3/2013 कौशल 10.12 से 4.10.12 दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता १॥मला 9.10.12 से दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता १॥मला 9.10.12 से १॥मला 9.10.12 से १॥मला 9.10.12 से १॥मला १	420, माह	श्री करम	शिमला से दिल्ली	दैनिक भत्ता	दैनिक भत्ता	57
6P.M) दैनिकी ₹120 -यथोपरि- श्री देव -यथोपरियथोपरि- 57 427 माह श्री सुभाष शिमला से चम्बा 4. 1 दिन का 1 दिन का 76 3 / 2013 कौशल 10.12 से 4.10.12 (4:30AM से 7:50 PM) धर्मशाला से शिमला 9.10.12 से 1 दिन का 1 दिन का शिमला 9.10.12 से 8:30 PM) 428 माह श्री अशोक शिमला से 1 दिन का दैनिक भत्ता 9.10.12 (8AM से 8:30 PM) 428 माह श्री अशोक शिमला से 1 दिन का ₹180 का 25 3 / 2013 हंस सुन्दरनगर दैनिक भत्ता 30.10.12 से 30.10. 12 (11:30AM से 4PM) 4PM) 41 दिन का ₹180 का 25 ₹180 ₹96 का 30%=₹29 चुल ₹155 4PM) 4PM) 41 दिन का ₹180 का 25 70%=₹126	3/2013	सिंह	3.2.13 से 3.2.13	₹160 का	₹84 का 3/4	
-यथोपरि- श्री देव -यथोपरियथोपरि- 57 427 माह श्री सुभाष शिमला से चम्बा 4. 1 दिन का 1 दिन का 76 3/2013 कौशल 10.12 से 4.10.12 दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता 76 (4:30AM से 7:50 ₹160 ₹84 PM) धर्मशाला से 1 दिन का 1 दिन का शिमला 9.10.12 से दैनिक भत्ता 9.10.12 (8AM से 8:30 PM) 152 428 माह श्री अशोक शिमला से 1 दिन का ₹180 का 25 3/2013 हंस सुन्दरनगर दैनिक भत्ता 30.10.12 से 30.10. ₹180 12 (11:30AM से 4PM) सुन्दरनगर से 1 दिन का ₹180 का 25 श्रिमला दैनिक भत्ता 70%=₹126 श्रिमला दैनिक भत्ता 70%=₹126 श्रिमला दैनिक भत्ता 70%=₹126			(8:30 AM से	3/4 भाग	भाग=63	
राज शर्मा शिमला से चम्बा 4. 1 दिन का 1 दिन का 76 वैनिक भत्ता 9.10.12 (8AM से 8:30 PM) ₹160 ₹84 1 दिन का वैनिक भत्ता 9.10.12 (8AM से 8:30 PM) ₹160 ₹84 152 428 माह श्री अशोक शिमला से 1 दिन का वैनिक भत्ता 30.10.12 से 30.10. ₹180 ₹180 वृल ₹126 वृल ₹155 वृल ₹155 वृल ₹155 विनक भत्ता वैनिक भत्ता वैनिक भत्ता विन का वृल ₹126 वृल ₹126 वृल ₹126 वृल ₹126 विनक भत्ता वैनिक भत्ता विन का वैनिक भत्ता			6P.M)	दैनिकी ₹120		
427 माह श्री सुभाष शिमला से चम्बा 4. 1 दिन का 1 दिन का 76 3 / 2013 कौशल 10.12 से 4.10.12 दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता हिंगमला 9.10.12 से 1 दिन का वैनिक भत्ता है। 9 / 10.12 (8AM से 7:50) ₹160 ₹84 8:30 PM) 152 428 माह श्री अशोक शिमला से 1 दिन का दैनिक भत्ता 9.10.12 (8AM से 8:30 PM) 152 428 माह श्री अशोक शिमला से 1 दिन का ₹180 का 25 3 / 2013 हंस सुन्दरनगर दैनिक भत्ता 30.10.12 से 30.10. 12 (11:30AM से 4PM) 154 का ₹180 का 25 70%=₹126 ₹96 का 30%=₹29 9 ल ₹155 सुन्दरनगर से 1 दिन का ₹180 का 25 70%=₹126 30.10.12 से 31.10.12 से 31.10.12 से 31.10.12 से 31.10.12 से 31.10.12 से 31.10.12 से 31.10.15 ₹180	–यथोपरि–	श्री देव	–यथोपरि–	–यथोपरि–	–यथोपरि–	57
3 / 2013 कौशल 10.12 से 4.10.12 (4:30AM से 7:50		राज शर्मा				
(4:30AM से 7:50 ₹160 ₹84 1 दिन का हामला 9.10.12 से 9.10.12 (8AM से 8:30 PM) ₹160 ₹84 1 दिन का दैनिक भत्ता \$₹84 1 दिन का ₹84 1 दिन का ₹84 1 \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$	427 माह	श्री सुभाष	शिमला से चम्बा 4.	1 दिन का	1 दिन का	76
PM) धर्मशाला से शिमला 9.10.12 से शिमला 9.10.12 से 30.10.2 से 31.10.12 से 31.10.12 से 31.10.12 से 31.10.12 से 31.10.12 से 31.10.1 1 दिन का दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता दैनिक भत्ता वैनिक भत्ता वैनिक भत्ता विन का देविन का विन का व	3/2013	कौशल	10.12 से 4.10.12	दैनिक भत्ता	दैनिक भत्ता	76
शिमला 9.10.12 से 9.10.12 (8AM से 9.10.12 (8AM से 8:30 PM) 152			(4:30AM से 7:50	₹160	₹84	
9.10.12 (8AM से 8:30 PM) 152			PM) धर्मशाला से	1 दिन का	1 दिन का	
8:30 PM) 8:30 PM 152			शिमला 9.10.12 से	दैनिक भत्ता	दैनिक भत्ता	
428 माह श्री अशोक शिमला से 1 दिन का ₹180 का 25 3/2013 हंस सुन्दरनगर दैनिक भत्ता 70%=₹126 30.10.12 से 30.10. ₹180 ₹96 का 30%=₹29 दुल ₹155 सुन्दरनगर से 1 दिन का ₹180 का 25 शिमला 31.10.12 से 31.10. ₹180 ₹180 70%=₹126 ₹180 ₹126 ₹180 ₹126 ₹180 ₹126 ₹126 ₹180 ₹126 ₹126 ₹180 ₹126			9.10.12 (8AM से	₹160	₹84	
428 माह श्री अशोक शिमला से 1 दिन का ₹180 का 25 3/2013 हंस सुन्दरनगर दैनिक भत्ता 70%=₹126 30.10.12 से 30.10. 12 (11:30AM से 4PM) युल ₹155 सुन्दरनगर से 1 दिन का ₹180 का 25 शिमला दैनिक भत्ता 70%=₹126 31.10.12 से 31.10. ₹180			8:30 PM)			
3 / 2013 हंस सुन्दरनगर दैनिक भत्ता 70 % =₹126 30.10.12 से 30.10. ₹180 ₹96 का 12 (11:30AM से 4PM) युल ₹155						152
30.10.12 से 30.10. 12 (11:30AM से 4PM) सुन्दरनगर से 1 दिन का ₹180 का 25 शिमला दैनिक भत्ता 70%=₹126 31.10.12 से 31.10. ₹180	428 माह	श्री अशोक	शिमला से	1 दिन का	₹180 का	25
12 (11:30AM से 30 % =₹29 4PM) सुन्दरनगर से 1 दिन का ₹180 का 25 शिमला दैनिक भत्ता 31.10.12 से 31.10. ₹180	3/2013	हंस	सुन्दरनगर	दैनिक भत्ता	70 % =₹126	
12 (11:30AM से 4PM) सुन्दरनगर से 1 दिन का ₹180 का 25 [शमला दैनिक भत्ता 70%=₹126] 31.10.12 से 31.10. ₹180			30.10.12 से 30.10.	₹180	. 706 751	
(11.30AM स 4PM)			12			
सुन्दरनगर से 1 दिन का ₹180 का 25 शिमला दैनिक भत्ता 70 % =₹126			(11:30AM से		30 %=< 29	
शिमला दैनिक भत्ता 70 % =₹126			4PM)		कुल ₹155	
31.10.12 से 31.10. ₹ ₁₈₀ 70 76 =₹126					₹180 का	25
31.10.12 से 31.10. ₹ 180 ₹ 96 का			शिमला	दैनिक भत्ता	70 % =₹126	
			31.10.12 से 31.10.	₹180	₹ 96 का	

		12 (9:30AM से		30 % =₹29
		2PM)		ੂਰੂल ₹155
429 माह	श्री अशोक	सुन्दरनगर से	1 दिन का	1 दिन की 84
3/2013	हंस	शिमला 12.12.12	दैनिक भत्ता	दैनिकी ₹96
		से 12.12.12	₹180	
		(9AM से 8:35		
		PM		

19 अकादमी वाहन एच0पी0 03 ए —0399 के प्रयोग में की जाने वाली तेल खपत के बारे में:—

सहायक नियन्त्रक (ले०प०) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227 दिनाँक 30.1.2014 द्वारा अकदामी के वाहन मारूति 800 नं० एचव०पी० 03 ए—0399 में तेल की खपत के बारें में सूचना मांगी गई थी तथा जिसके उत्तर में अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन में पाया गया कि माह 1/2013 में यह औसत 8.62 कि०मी० प्रति लीटर माह 3/2013 में 5.72 कि०मी० प्रति लीटर, 3/2013 में 5.72 कि०मी० प्रति लोटर तथा शेष अंकेक्षणाधीन अवधि में यह औसत लगभग 10.5 कि०मी० प्रति लीटर रही। इस प्रकार गाड़ी द्वारा वो जा रही औसत अत्याधिक कम प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना में स्पष्ट किया गया है कि गाड़ी की औसत कभी भी किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं की गई है तथा जो औसत वाहन चालक द्वारा औसत दर्शाई जाती है उसे ठीक मान लिया जाता है। इस सन्दर्भ में सचिव अकादमी द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि क्योंकि यह गाड़ी 14 वर्ष पुरानी है इसलिये इसकी औसत कम है जोकि वर्क संगत नहीं है। अतः अविलम्ब हिमाचल पथ परिवहन या लोक निर्माण विभाग के तकनीकी अधिकारियों से वाहन की औसत निर्धारित करवा कर उक्त दर्शाई गई खपत को उचित ठहराया जाए अन्यथा कम दर्शाई गई औसत के लिए उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

20 अन्य विविध अनियमितताएं:--

(क) बिल संख्या 466, माह 3/2013 के अन्तर्गत श्री रित राम, सेवादार को सेवानिवृति पर अर्जित अवकाश के भुगतान स्वरूप 190 दिन के अर्जित अवकाश की कुल ₹85512/- का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

मूल वेतन ₹6200+ग्रेड पे ₹1650+मंहगाई भत्ता ₹5652=कुल ₹13502

13502x190 / 30= ₹85512

उक्त कर्मचारियों की सेवा पंजिका की जाँच करन पर पाया गया कि दिनांक 30.9. 2012 को उनका मूल वेतन ₹6130 तथा ₹1300 ग्रेड पे था तथा प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन (पीआर) बी (7) 64—2010 दिनांक 7.9.2012 की अनुपालना में दिनाँक 1.10.2012 से ग्रेड पे ₹1300 से बढ़ा कर ₹1650 कर दी गई परन्तु विभाग द्वारा ग्रेड पे बढ़ाने के साथ साथ मूल वेतन भी ₹6130/— से बढ़कर ₹6200/— कर दिया गया जोकि गलत है। इस प्रकार उक्त कर्मचारी को उसकी जमा छुट्टियों 190 दिन का अन्तिम भुगतान इस प्रकार देय था।

मूल वेतन ₹6130+ग्रेड पे ₹1650+मंहगाई भत्ता ₹5602=कुल ₹13382

13382x190 / 30=₹84753

परन्तु कर्मचारी का ₹85512/— का भुगतान किया गया है। अत अधिक किये गये भुगतान की ₹759/— की वसूली उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त श्री रित राम, को माह 10/12 में एक माह के लिए दिए गए अधिक मूल वेतन तथा उस पर मिलने वाले भत्तों की वसूली करनी भी सुनिश्चित की जाए क्योंकि उक्त कर्मचारी माह 10/12 में ही सेवा निवृत हो गये थें।

(ख) बिल संख्या 413 (वाउचर संख्या 1364) माह 3/2012 के अन्तर्गत मैं0 मारवाड़ी एैन्टर प्राईजिज के बिल संख्या 243 दिनाँक 28.12.2011 के अन्तर्गत श्यामली पत्रिका के जून 2011 अंक की 96 पृष्ठों की कम्पयूटर टाईपिंग करने हेतु ₹20 प्रति पृष्ठ की दर पर टाईप करने पर कुल ₹1920/— का भुगतान किया गया जबिक इस फर्म की इस कार्य हेतु अनुमोदित दर ₹15 प्रति पृष्ठ थी। अतः 96 पृष्ठों की टाईपिंग हेतु ₹5 प्रति पृष्ठ की दर से किए गए अधिक भुगतान की ₹480/— की उचित स्त्रोत से वसूली करके इसे वापिस अकादमी में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई गई।

(ग) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अकादमी द्वारा की अजीवन पैन्शन योजना के अन्तर्गत विभिन्न साहित्यकारा को प्रदान की गई पैन्शन की निम्न वर्णित पावतियाँ अभिलेख में उपलब्ध नहीं है जिनकी अनुपलब्धता में किये गय भुगतान को पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः भुगतान की पावतियाँ प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दर्शांकर किए गये भुगतानों को उचित उहराया जाए।

क्र0सं0	बिल / वा0स0	माह	नम	प्रदान की गइं
				राशि
1	1385	3/2012	गम्बरी देवी	1500
2	443	3/2013	हीरा दास नेगी	1000
3	443	3/2013	सिकुंडिया राम	1000
4	443	3/2013	बसन्ती देवी	1000
5	443	3/2013	सुमन पुण्डीर	1000

- (घ) बिल संख्या 431, (वाउचर संख्या 2139) व माह 3/2013 के अन्तर्गत गिरीराज समाचार पत्र में विज्ञापन देने पर कुल ₹2295 का भगतान किया गया। इस व्यय को पुस्तकों की थोक खरीद से सम्बन्धित शीर्ष में बुक किया गया जबिक यह व्यय MAS डेस्टीनेशन फण्ड से सम्बन्धित था। इसी प्रकार बिल संख्या 436, (वाउचर संख्या 2146) माह 3/2013 के अन्तर्गत श्री अरशद अली को ₹3200/— का भुगतान हिमाचल का कला वैभव नामक पुस्तक की कम्पयूटर टापईप करने पर किया गया। इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु लिलत कला अकादमी द्वारा 1 लाख की राशि प्रदान की गई थी तथा इस व्यय की बुकिंग प्राप्त राशि पर न करके योजनाए व प्रकशन शीर्ष पर बुक किया गया। इस प्रकार गलत बुकिंग करना अनियमित है जिस कारण प्रत्येक योजना पर किया गया व्यय उस योजना की वास्तविक परिलक्षित नहीं करता है। अतः किये गये व्यय को सम्बन्धित शीर्ष के अन्तर्गत हो बुक किया जाए तथा भविष्य में इस सन्दर्भ में विशेष ध्यान रखा जाये।
- (ङ) बिल संख्या 376, (वाउचर संख्या 1240), माह 3/2012 के अन्तर्गत मै0 आर0डी0 ईलेकट्रोनिक से बिल संख्या 2900 दिनाँक 3.1.2012 के अन्तर्गत 9 सिंगल राड हीटर की खरीद करने पर ₹2970 का भुगतान किया गया। इन हीटरों की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रिजस्टर के पृष्ठ 89 पर करके इन्हें 9 कर्मचारियों को जारी किया गया दर्शा गया है और स्टॉक से इन होटरों को खारिज कर भी दिया गया है। अतः नये हीटरों को खरीद करके इन्हें सम्बन्धित

कर्मचारियों को जारी करना उचित ठहराया जाए क्योंकि स्टॉक में पहले ही हीटर उपलब्ध थे। इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

- (च) उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र एवं क्षेत्रीय रविन्द्र स्मरणोत्सव केन्द्र से प्राप्त ₹5 लाख के अंकेक्षण तथा प्रमाण पत्र सत्यापित करवाने हेतु मै0 धवन एण्ड क0 चाटर्ड अकाऊटैन्टस को वाउचर संख्या 2296, माह 3/2013 के अन्तर्गत ₹8427/— अंकेक्षण शुल्क के रूप में भुगतान किये गये परन्तु चाटर्ड अकाऊंटैंटस की न्युक्ति व भुगतान से सम्बन्धित प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शांकर किये गये भुगतान को उचित उहराया जाए।
- 21 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई।
- 22 निष्कर्ष:— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-

उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः 1—269 / 74 — फिन(एल०ए०)खण्ड—17—2239—2242 दिनांक 16.04.2014,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

पंजीकृत

- 1. सचिव, हि0प्र0 कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला—171001 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करक सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजे।
- 2. निदेशक, हि०प्र० भाषा एवं संस्कृति शिमला-9
- 3. अवर सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हि०प्र० सरकार शिमला-171002
- 4. श्री अशोक सूद सहायक नियन्त्रक द्वारा.....

हस्ता/-

उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट "A" पैरा संख्या 1 (iii)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1 पैरा–6 निर्णीत (वसूली हेतु शेष बकाया राशि ₹769/— दिनाँक 3.7.2012 को जमा करवा दी गई)

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/87

1 पैरा–17 (आर) (5) निर्णीत (कार्यकारी परिषद के निर्णय अनुसार)

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88

1 पैरा-7 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1 पैरा—10 निर्णीत (कार्यकारी परिषद की बैठक संख्या 14 दिनाँक 22.9. 2002 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसार)

(ड.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94

- 1 पैरा–18 (क) निर्णीत (कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार)
- 2 पैरा–25 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

1 पैरा–6 अनिर्णीत

2 पैरा—7 निर्णीत (कार्यकारी परिषद की दिनाँक 14 व 22.9.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसार)

3 पैरा–9 (क से ड.) निर्णीत (यथोपरि)

4 पैरा–27 (घ) निर्णीत (यथोपरि)

5 पैरा-30 (ग) निर्णीत (यथोपरि)

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

1 पैरा—6 अनिर्णीत

2 पैरा—19 अनिर्णीत

3 पैरा–28 निर्णीत (दिये गये उत्तर के अनुसार)

4 पैरा–37 निर्णीत (कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार)

5 पैरा–40 (क) निर्णीत (दिये गये उत्तर के अनुसार)

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

पैरा–6 अनिर्णीत

2 पैरा–19 निर्णीत (कार्यकारी परिषद द्वारा दिनाँक 14 व 22

सितम्बर 2012 को सम्पन्न हुई बैठकों में

मद संख्या 25 में लिये गये निर्ण के

अनुसार)

3 पैरा–20 निर्णीत (यथोपरि)

4 पैरा-23 (1, 2, 3, 4, 5) अनिर्णीत

5 पैरा–28 अनिर्णीत

6 पैरा-28 (1, 4) अनिर्णीत

7 पैरा–28 (5, 6) निर्णीत (कार्यकारी परिषद की दिनांक 14 तथा 22.

9.2012 को सम्पन्न हुई बैठक की मद

संख्या 25 में लिये निर्णय के अनुसार)

8 पैरा–34 (1) निर्णीत (यथे।परि)

9 पैरा–35 (1, 2, 3) निर्णीत (दिये गये उत्तर व कार्यकारी परिषद द्वारा

प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसार)

10 पैरा–36 निर्णीत (यथोपरि)

11 पैरा-37 (1 से 4) अनिर्णीत

12 पैरा—38 (2) अनिर्णीत

13 पैरा–39 (ए) निर्णीत (बैक द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के

अनुसार)

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

 1
 पैरा–7 (ख)
 अनिर्णीत

 2
 पैरा–15
 अनिर्णीत

 3
 पैरा–16
 अनिर्णीत

 4
 पैरा–17
 अनिर्णीत

 5
 पैरा–19
 अनिर्णीत

 6
 पैरा–22
 अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1 पैरा—11 अनिर्णीत

2 पैरा—12 आंशिक निर्णीत (₹15600 / —मे ₹12450 / — दिनॉक

10.6.2011 को जमा करवा दी गई तथा

शेष ₹3150 / – जमा करवानी बाकी है)

3 पैरा–14 निर्णीत (कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार)

4 पैरा–23 अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2001

1 पैरा−12 निर्णीत (₹2150 की वसूली बिल संख्या 326 माह 1/2004 के अन्तर्गत की गई थी तथा वसूली पैरा संख्या 12 व 13 की शेष

₹21900 / — दिनांक 10.5.2012 को जमा

करवाई गई)

2 पैरा–13 निर्णीत (यथोपरि)

3 पैरा–27 (क, ख) अनिर्णीत

4 पैरा–27 (घ) अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1 पैरा-4 (ग)

अनिर्णीत

2 पैरा—13

अनिर्णीत

3 पैरा–16 (क, ख, ग)

4 पैरा—17

अनिर्णीत

अनिर्णीत

5 पैरा-18 (ख)

अनिर्णीत

6 पैरा-23 (क, ख, ग)

अनिर्णीत

7 पैरा-24

अनिर्णीत

8 पैरा–26 (क)

निर्णीत (कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार)

9 पैरा-26 (ख)

निर्णीत (₹13 दिनांक 26.2.2005 को तथा ₹80

दिनांक 2.4.2013 को जमा करवा दी गई)

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

पैरा–14 1

अनिर्णीत

पैरा—15

अनिर्णीत

(क)

पैरा-26

निर्णीत (कार्यकारी परिषद की दिनांक 14 व 22.9.

2012 को सम्पन्न हुई बैठकों में मद संख्या

25 में लिए गये निर्णय के अनुसार)

पैरा-28

अनिर्णीत

पैरा-30

अनिर्णीत

(ढ.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

पैरा–11 1

निर्णीत (दिये गये उत्तर व कार्यकारी परिषद की

दिनांक 14 व 22.9.2012 को सम्पन्न हुई

बैठकों में मद संख्या 25 में लिए गये निर्णय

के अनुसार)

पैरा–16 2

अनिर्णीत

पैरा–18 3

अनिर्णीत

- 4 पैरा—19 निर्णीत (कार्यकारी परिषद द्वारा प्रदान की गई प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त)
- 5 पैरा—21 अनिर्णीत
- 6 पैरा-22 अनिर्णीत
- 7 पैरा—23 निर्णीत (कार्यकारी परिषद द्वारा प्रदान की गई
 - कार्योत्तर स्वीकृति के अनुसार)
- 8 पैरा–25 निर्णीत (यथोपरि)

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

- 1 पैरा–11 अनिर्णीत
- 2 पैरा-15 अनिर्णीत
- 3 पैरा-16 अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

- 1 पैरा-7 अनिर्णीत
- 2 पैरा-14 अनिर्णीत
- 3 पैरा–16 अनिर्णीत
- 4 पैरा–19 अनिर्णीत
- 5 पैरा—21 निर्णीत (दिये गए उत्तर व कार्यकारी परिषद द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसार)

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

- 1 पैरा—19 अनिर्णीत
- 2 पैरा-21 अनिर्णीत
- 3 पैरा-22 अनिर्णीत
- 4 पैरा–23 निर्णीत (की गई कार्रवाई के अनुसार)

5

6 पैरा—24 निर्णीत (दिये गये उत्तर व कार्यकारी परिषद द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के उपरान्त)

- 7 पैरा–25 निर्णीत (यथोपरि)
- 8 पैरा-26 अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

- 1 पैरा-7 अनिर्णीत
- 2 पैरा-9 अनिर्णीत
- 3 पैरा–10 निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
- 4 पैरा-11 अनिर्णीत
- 5 पैरा-12 अनिर्णीत
- 6 पैरा—14 निर्णीत (दिये गये उत्तर व की गई कार्रवाई के अनुसार)
- 7 पैरा–15 निर्णीत (यथोपरि)
- 8 पैरा—17 निर्णीत (₹242 दिनांक 29.1.2014 को जमा करवा दी

गई)

9 पैरा—18 निर्णीत **(₹**179 दिनांक 29.1.2014 को जमा करवा दी गई)

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

- 1 पैरा-9 अनिर्णीत
- 2 पैरा-10 अनिर्णीत
- 3 पैरा-12 अनिर्णीत
- 4 पैरा–14 (ख) निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
- 5 पैरा-15 अनिर्णीत
- 6 पैरा-19 अनिर्णीत
- 7 पैरा-20 अनिर्णीत

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1 पैरा—6 आंशिक निर्णीत (क्योंकि ₹830000 / — में से ₹480000 / — का उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को

प्रस्तुत किया गया तथा शेष ₹350000 / - '
में से ₹84228 / - का व्यय अंकेक्षण समाप्ति
तक किया गया। अतः बकाया शेष
₹265772 / - या तो उसी उद्देश्य हेतु व्यय
की जानी सुनिश्चित की जाए जिस
प्रयोजन हेतु यह प्राप्त हुई थी अन्यथा इस
राशि को भाषा एवं संस्कृति विभाग को
वापिस लौटाया जाए तथा इन दोनों
अवस्थाओं में उपयोगिता प्रमाण पत्र
अंकेक्षण को यथापेक्षित प्रस्तुत किया जाना
सुनिश्चित किया जाए)

			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	
4	पैरा–9	निर्णीत	(₹4500 / — दिनांक 2.4.2013 को जमा
			करवा दी गई)
5	पैरा—11 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा–11 (ख)	निर्णीत	(₹606 ∕ − सम्बन्धित कर्मचारियों के माह
			7/2012 के वेतन से वसूली गई)
7	पैरा–12	अनिर्णीत	
8	पैरा—15	निर्णीत	(दिये गये उत्तर के अनुसार)
9	पैरा—16	आंशिक निर्णीत	(क्योकि प्रकाशन एवं कैसेटस के अतिरिक्त
			अन्य वस्तुओं के स्टॉक सत्यापन की पुष्टि
			तो अंकेक्षण से करवा ली गई है। अतः
			प्रकाशन एवं कैसेटस का स्टॉक सत्यापन
			भी करवाने के अतिरिक्त भविष्य में सभी

स्टॉक वस्तुओं

नियमानुसार प्रतिवर्ष

सुनिश्चित किया जाए)

स्टॉक

करवाया

सत्यापन

जाना

का

1 पैरा—3 निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क की राशि दिनांक 20.3.2012 को भेज दी गई) 2 पैरा—4 निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)

- 3 पैरा—5 (क) निर्णीत (दिये गये उत्तर व की गई कार्रवाई के अनुसार)
- 4 पैरा–6 निर्णीत (पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)

(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

- 5 पैरा-7 निर्णीत (यथोपरि)
- 6 पैरा–8 (क) अनिर्णीत
- 7 पैरा-8 (ख) अनिर्णीत
- 8 पैरा–8 (ग) अनिर्णीत
- 9 पैरा–9 निर्णीत (दिये गये उत्तर व की गई कार्रवाई के अनुसार)
- 10 पैरा–10 निर्णीत (दिये गये उत्तर के अनुसार)
- 11 पैरा—11 निर्णीत (₹402, सम्बन्धित कर्मचारियों के माह 7/2012 वेतन से वसूली गई)
- 12 पैरा-12 अनिर्णीत
- 13 पैरा–13 निर्णीत (की गई कार्रवाई के अनुसार)
- 14 पैरा–14 निर्णीत (दिये गये उत्तर के अनुसार)
- 16 पैरा–16 निर्णीत (दिये गये उत्तर के अनुसार)
- 17 पैरा–17 निर्णीत (दिये गये उत्तर के अनुसार)
- 18 पैरा—18 अनिर्णीत
- 19 पैरा—19 अनिर्णीत
- 20 पैरा—20 अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	126
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	55
अन्तर्शेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि ०४ / १० से ०३ / ११ तक अनिर्णीत पैरे	7